

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

परमिशन वाद संख्या-15/2020

समिचरण महतो वगै० बनाम मेसर्स वनांचल कौकास्ट प्रा० लि०

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

22/02/2022

— :: आदेश :: —

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (बिक्रेता)-(1) समिचरण महतो, पिता-स्व० बरजू महतो एवं (2) सुरज महतो, पिता-स्व० रिझू महतो, दोनों का निवास ग्राम-हेमंतपुर, पो०-सोसोकला, थाना-गोला, जिला-रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के अंतर्गत क्रेता मेसर्स वनांचल कौकास्ट प्रा० लि० कम्पनी बार्मफत निदेशक अंकित पोद्दार, पिता-पवन कुमार पोद्दार, निवास ग्राम-पोद्दार हॉउस रोड नं०-13 सी०एच० एरिया, नियर फलेवर साउथ, पो०-सोनारी, थाना-सोनारी जमशेदपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम (झारखण्ड) एवं नितीन भालोटिया, पिता-सुरेश भालोटिया उर्फ सुरेश कुमार अग्रवाल निवास ग्राम-राम टेकरी रोड जुगसलाई नियर अग्रसेन भवन जमशेदपुर, पो०-जुगसलाई, थाना-जुगसलाई, जिला पूर्वी सिंहभूम (झारखण्ड) को कम्पनी (मेसर्स वनांचल कौकास्ट प्रा० लि०) को रास्ता परियोजन हेतु नीचे वर्णित भूमि हस्तांतरण/बिक्री से सम्बन्धित प्राप्त अनुमति आवेदन के आलोक में अपर समाहर्ता, रामगढ़ का पत्रांक-138/रा०, दिनांक-29.01.2022 से जांच प्रतिवेदन न्यायालय को प्राप्त, अवलोकन किया गया। बिक्री अनुमति हेतु प्रस्तावित भूमि की विवरणी निम्नवत् है:-

मौजा	थाना/थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	कुल रकबा (अनुमति हेतु प्रस्तावित रकबा डिसमिल में)
हेमंतपुर	गोला/52	17/1	824	15 डिसमिल
कुल रकबा				15 डिसमिल (पंद्रह डिसमिल)

अपर समाहर्ता, रामगढ़ से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदकगण द्वारा अनुमति हेतु प्रस्तावित भूमि सर्वे खतियान में मौजा-हेमंतपुर, खाता संख्या-17/1 बकास्त खाते की भूमि है। उक्त बकास्त खाते की भूमि का आवेदक के दादा/परदादा बाबु महतो, पिता-नथुवा महतो के नाम से राजस्व पंजी-II के पृष्ठ संख्या-26/1 पर खाता नं०-17/1 कुल रकबा-2.14 एकड़ की जमाबन्दी कायम है। अपर समाहर्ता, रामगढ़ द्वारा आवेदकगण को कम्पनी (मेसर्स वनांचल कौकास्ट प्रा० लि०) के रास्ता परियोजन के निमित्त बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा किया गया है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49 के तहत आवेदकगण से प्राप्त अनुमति आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत भूमि का राजस्व पंजी-II के पृष्ठ संख्या-26/1 पर खाता नं०-17/1 कुल रकबा-2.14 एकड़ भूमि की जमाबन्दी कायम है एवं लगान रसीद निर्गत है तथा आवेदकगण दखलकार है। आवेदकगण के द्वारा न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर स्वेच्छा से कम्पनी को रास्त परियोजन हेतु भूमि हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में इच्छा जाहीर किया गया है। इन्होंने आवेदकगण के अनुरोध पर एवं अपर समाहर्ता, रामगढ़ से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में मौजा-हेमंतपुर, थाना-गोला, थाना नं०-52 अन्तर्गत खाता नं०-17/1, प्लॉट संख्या-824, रकबा-15 डिसमिल (पंद्रह डिसमिल) भूमि को बिक्री/हस्तान्तरण छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-49 के अंतर्गत क्रेता (मेसर्स वनांचल कौकास्ट प्रा० लि०) कम्पनी को रास्ता परियोजन हेतु परमिशन/अनुमति दिया जा सकता है।

अपर समाहर्ता, रामगढ़ एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में आवेदकगण (बिक्रेता) को मौजा-हेमंतपुर, थाना-गोला, थाना नं०-52 अन्तर्गत खाता नं०-17/1, प्लॉट संख्या-824, रकबा-15 डिसमिल (पंद्रह डिसमिल) भूमि को बिक्री/हस्तान्तरण छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-49 के अंतर्गत क्रेता (मेसर्स वनांचल कोंकारस्ट प्रा०लि०) कम्पनी को रास्ता परियोजन हेतु परमिशन/अनुमति निम्नांकित शर्तों पर दी जाती है:-

1. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49(2) में वर्णित प्रावधानों के तहत यह अनुमति कम्पनी के रास्ता परियोजन कार्य हेतु दी जाती है। क्रेता द्वारा उक्त भूमि का गैर परियोजन अथवा किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरण मान्य नहीं होगा। साथ ही यदि उन्हें प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता नहीं हो तो विपक्षी (क्रेता) बिना किसी शर्त के प्रथम पक्ष (आवेदकगण) को वापस करेंगे।
 2. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49(4) में वर्णित प्रावधानों के तहत झारखण्ड मुद्रांक (अवमूल्यन निवारण) नियमावली वर्ष 2012 अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार के द्वारा अधिसूचित भूमि का न्यूनतम मूल्य मार्गदर्शिका पंजी में उक्त राजस्व ग्राम हेतु अद्यतन औद्योगिक दर से कम मूल्य पर प्रश्नगत भूखण्ड का हस्तान्तरण नहीं होगा और यह दर किसी परिस्थिति में "The Right to fair compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013" एवं यथा संशोधित अधिनियम के आलोक में प्रश्नगत भूमि अन्तर्गत उस क्षेत्र में उस किस्म की दी जाने वाली भूमि के दर से कम नहीं होगा।
 3. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49(5) में वर्णित प्रावधानों से यह आदेश प्रभावित होगा।
 4. क्रेता द्वारा Jharkhand Rehabilitation and Resettlement Policy एवं सरकार द्वारा यथा संशोधित इस संबंध में निर्गत निदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 5. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित भू-लगान क्रेता द्वारा भूमि हस्तान्तरण के पश्चात राज्य सरकार को भुगतान किया जायेगा।
 6. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49(3) के आलोक में बिक्रेता (आवेदकगण) द्वारा क्रेता (विपक्षी) को भूमि हस्तांतरण निबंधित केवाला के माध्यम से किया जाएगा। निबंधित केवाला के पूर्व अधोहस्ताक्षरी आदेश में उल्लेखित शर्तों के संबंध में अंचल अधिकारी, गोला से अनुमति ली जाएगी। अंचल अधिकारी, गोला द्वारा भूमि हस्तांतरण हेतु निबंधित दस्तावेज में उपरोक्त सभी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन हुआ है, सुनिश्चित करेंगे। साथ ही बिक्रेता भूमि हस्तांतरण के पश्चात भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आते हैं एवं बिक्रेता हस्तांतरित भूमि के वास्तविक स्वामित्व/रैयत/हिस्सेदार एवं दखलकार हैं, सुनिश्चित कर निबंधन हेतु अनुमति प्रदान करेंगे।
 7. अनुमति हेतु प्रस्तावित प्रश्नगत भूमि का निबंधन के पश्चात् अंचल अधिकारी, गोला दाखिल-खारिज की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
 8. अवर निबंधक, गोला निबंधन से पूर्व क्रेता तथा बिक्रेता के मध्य सहमति/Consensus के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे।
- उक्त विवेचन/शर्तों के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति अनुपालन के निमित्त अंचल अधिकारी, गोला एवं अवर निबंधक, गोला को भेजे। संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

शाधवी क्षिथी

22.02.2022

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी

रामगढ़।

शाधवी क्षिथी

22.02.2022

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी

रामगढ़।